

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
 पदेन पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई। जिसके अनुसार
 नाम ग्राम - धौलखेडा के खाता नं० 353 में प्रार्थी का नाम
 दीपक पुत्र शुकल गजरा देव असा. जिर्ण के लिये पत्र संलग्न
 किया गया है। शास्त्र पर आगिते नौदारी पुत्र शुकल पुत्र
 जिला जना कामरुज तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक : 10/11/21
 10/11/21
 10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त फिमा जागरूक उचित है।
 10/11/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक : 10/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धौलखेडा	2075 78	353	दीपक पुत्र शुकल	आगिते नौदारी पुत्र शुकल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1021-22
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सन्तुष्टार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी